संख्याः सोलन (पंच)विविध-Vol2/2024- 4305-4310
कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सोलन, हि०प्र०।

Block Development Officer
Diary No. 1531
Date 12-8-25
Solan (H.P.)

सेवा में,

1. सहायक आयुक्त(विकास) एवं खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर
2. खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़, कुनिहार, कण्डाघाट, सोलन एवं पट्टा, जिला सोलन हि०प्र०।

सोलन- 173211 दिनांकः 08th अगस्त, 2025

विषयः- कल्याण समिति के माह जून, 2025 के अथययन प्रवास से संबंधित कार्यवाही (शब्दश :)।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में जिला कार्यक्रम अधिकारी, सोलन, जिला सोलन हि०प्र० के कार्यालय का पत्र संख्या कल्याण-सोलन (आई सी डी एस)-सी-1-6-2021-II-2466 दिनांक 28.07.2025 (प्रति संलग्न) को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, के संदर्भ में सूचित किया गया है कि "मुख्य मंत्री शगुन योजना" के तहत बी०पी०एल० परिवार की बेटी की शादी के अवसर पर 31 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। परन्तु अनेक पात्र परिवार ऐसे हैं, जिन्हें योजना की जानकारी न होने के कारण इसके लाभ से वंचित रह जाते है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कल्याण समिति की सिफारिश की प्राथमिकता के आधार पर आप अपने अधिनस्थ समस्त पंचायत सचिवों को दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें कि जब भी बी०पी०एल० परिवार की बेटी अपना नाम कटवाने के लिए पंचायत कार्यालय में आयें, तो पंचायत सचिव द्वारा ही उनका फार्म भरना सुनिश्चित किया जाए। ताकि गरीब परिवार के पात्र सदस्य को मुख्य मंत्री शगुन योजना का लाभ मिल सके।

संलग्नः उपरोक्त

भवदीय,

जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सोलन, हि०प्र०।

P1
BDO
11-8-25

पृष्ठांकन संख्या- उपरोक्त 4311 दिनांकः 08th अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः-

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, सोलन, जिला सोलन हि०प्र० को उपरोक्त के संदर्भ में सूचनार्थ।

जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सोलन, हि०प्र०।

Rinku 18-08-25

पृष्ठांकन सं० — 3811

प्रतिलिपि समस्त पंचायत ~~सचिव~~ सचिव वि० ख० सोलन को अनुपालनार्थ प्रेषित है।

Block Development Officer
Solan Distt. Solan(H.P)

जिला पंचायत अधिकारी,
पावती संख्या 3012
दिनांक 07/08/2025

कल्याण -सोलन (आई सी डी एस)-सी-1 -6 -2021-II - 2466
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ,सोलन
सोलन,जिला सोलन (हि०प्र०)

सेवा में

जिला पंचायत अधिकारी
सोलन ,जिला सोलन
दिनांक 28/07/2025

विषय - **कल्याण समिति के माह जून,2025 के अध्ययन प्रवास से संबंधित कार्यवाही (शब्दश :)|**

महोदय/ महोदया ,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा कल्याण समिति के प्रवास के दौरान आयोजित बैठकों में विभिन विभागों को समिति द्वारा दिए गए निर्देशों की अभी तक भी अनुपालन न करने बारे द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया है तथा सलग्न प्रपत्र अनुसार वांछित कार्यवाही की जाए |

अतः आपसे निवेदन है की कल्याण समिति की सिफारिश की प्राथमिकता के आधार पर अपने खण्ड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें , ताकि गरीब परिवार के पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में जानकारी न होने के कारण सुविधा से वंचित न रह जाये |

पृष्ठ- 06

भवदीय ,

जिला कार्यक्रम अधिकारी ,
सोलन,जिला सोलन हि. प्र.

Sh Atul
6/8/25

विधानसभा मामला

संख्याः डब्ल्यूसीडी–एच (सी)–एफ–1/2021 –शगुन –10939
निदेशालय महिला एवं बाल विकास, हिमाचल प्रदेश ।

सेवा में

निदेशक,
ग्रामीण विकास,हिमाचल प्रदेश
दिनांकः शिमला–04 26/7/2025

विषयः कल्याण समिति के माह जून,2025 के अध्ययन प्रवास से सम्बन्धित कार्यवाही (शब्दशः)।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय में सचिव, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता, हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः (एस0जे0ई0)ए0–डी0(5)–9/2025 दिनांक 18.07.2025 के सन्दर्भ में अवगत करवाया गया है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा कल्याण समिति के प्रवास के दौरान आयोजित बैठकों में विभिन्न विभागों को समिति द्वारा दिए गए निर्देशों की अभी तक भी अनुपालना न करने बारे समिति द्वारा कड़ा संज्ञान लेते हुए निम्न सिफारिश के अनुरूप वांछित सूचना चाही गई हैः–

विभाग	प्रश्न	सिफारिश
महिला एवं बाल विकास	समिति द्वारा मुख्य मंत्री शगुन योजना के सन्दर्भ में पूछने पर जिला प्रोग्राम अधिकारी ने समिति को अवगत करवाया कि इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार की बेटी की शादी के अवसर पर 31 हजार रूप्ये की राशि प्रदान की जाती है लेकिन उक्त के सन्दर्भ में समिति का मत था कि अभी भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जिनको पता ही नही है कि उनकी बेटी की शादी हेतु सरकार द्वारा पैसे दिए जाते है जिसके कारण वे लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।	अतः समिति ने सिफारिश करते हुए कहा है कि बी0पी0एल0 परिवार की बेटी की शादी होने के पश्चात् जब वे लोग पंचायत सचिव के पास नाम कटवाने के लिए आते हैं तो पंचायत सचिव द्वारा ही उन बी0पी0एल0 परिवार की बेटी का फॉर्म भरना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इधर–उधर न भंटकना पड़े और उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।

अतः उक्त सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि कल्याण समिति की सिफारिश की प्राथमिकता के आधार पर खण्ड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने की कृपा करे ताकि गरीब परिवार के पात्र लाभार्थी मुख्य मंत्री शगुन योजना के बारे में जानाकरी न होने के कारण सुविधा से वंचित न रह जाये।

(डा0 पंकज ललित)
निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि   दिनांक

प्रतिलिपिः समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(डा0 पंकज ललित)
निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश।

विधान सभा कार्य
अति आवश्यक / समयबद्ध

सं० (एस०जे०ई०) ए०-डी० (5)-9/2025
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
शाखा-क

प्रेषक

सचिव (एस०जे०ई०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
एम.सी पार्किंग, चौथी मंजिल टूटीकंडी बाईपास
शिमला-4, हिमाचल प्रदेश

शिमला-171002 दिनांक 18 जुलाई, 2025

विषय :- कल्याण समिति के माह जून, 2025 के अध्ययन प्रवास से सम्बंधित कार्यवाही (शब्दशः) ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे सचिव विधान सभा, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या [illegible] स0-कल्याण समिति (प्रवास) 7-11/2018-II दिनांक 08-07-2025 की छायाप्रति [illegible] सहित भेजते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि वांछित सूचना की चार प्रतियां निर्धारित समयावधि के भीतर इस कार्यालय में भिजवाने की कृपा करें ताकि वांछित सूचना [illegible] समय अवधि के भीतर विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध करवाया जा सके।

कृपया मामले पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर [illegible] सुनिश्चित करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
([illegible])
अति० सचिव (एस०जे०ई०)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष न0 0177 2880348

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT
ई-मेल/Email:visabha-hp@nic.in कौंसिल चैम्बर,शिमला-171004
वेब/website:https://pvidhansabha.nic.in COUNCIL CHAMBER,SHIMLA-171004

संख्या : वि0स0-कल्याण समिति (प्रवास)7-11/2018-II

प्रेषकः

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

प्रेषितः

सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता),
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002.

दिनांक , शिमला-171004, 08 .07.2025

विषयः कल्याण समिति के माह जून,2025 के अध्ययन प्रवास से सम्बन्धित कार्यवाही (शब्दशः) ।

महोदय,

विषयोक्त पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कल्याण समिति के माह जून,2025 के अध्ययन प्रवास की कार्यवाही (शब्दशः) को समिति की बैठक दिनांक 04.07.2025 में समिति की संवीक्षार्थ रखा गया था। प्रवास के दौरान आयोजित बैठकों में विभिन्न विभागों को समिति द्वारा दिए गए निर्देशों की अभी तक भी अनुपालना न करने बारे समिति द्वारा कड़ा संज्ञान लिया गया तथा चाहा कि वांछित सूचना एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करवाई जाए।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम सं0 223(6) के अनुसरण में अध्ययन प्रवास के दौरान आयोजित बैठकों की कार्यवाही (शब्दशः) आपको इस आशय से प्रेषित है कि बैठकों के दौरान चाही गई सूचना तीन प्रतियां आप द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित कर समिति की संवीक्षार्थ अविलम्ब एक सप्ताह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

समिति के दिनांक 13.06.2025 से 15.06.2025 तक जिला बिलासपुर, मण्डी व कुल्लू के अध्ययन प्रवास के दौरान आयोजित बैठकों की कार्यवाही (शब्दशः) आवश्यक कार्रवाई हेतु साथ संलग्न है।

भवदीय,

(यशपाल शर्मा)
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
दूरभाष : 0177-2656424
ई-मेल: visabha-hp@nic.in

संलग्नः कार्यवाही (शब्दशः)

समिति ने उपायुक्त, कुल्लू को निर्देश देते हुए कहा कि उक्त मामले में आपदा प्रभावित व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर घर बनाने हेतु जगह उपलब्ध करवाई जाए अन्यथा एस0डी0एम0, तहसीलदार और नायब तहसीलदार तीनों अधिकारियों को कल्याण समिति की आगामी बैठक में स्पष्टीकरण देने हेतु विधान सभा सचिवालय में समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त समिति ने उपायुक्त, कुल्लू को निर्देश देते हुए कहा कि उक्त व्यक्ति जब से किराए के मकान में रह रहा है उसको उस समय से लेकर किराया भी दिया जाए क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन की है कि जिनके मकान डिजास्टर में बह गए हैं, यदि वे किराए के मकान में रहते हैं तो उनको उसका किराया भी सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाएगा।

समिति द्वारा पूछने पर कि लैंडलैस के कितने केस सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं, के संदर्भ में उपायुक्त ने समिति को अवगत करवाया कि पहले भी इस तरह के कई केस स्वीकृति हेतु सरकार को भेजे गए हैं ताकि इन लोगों को जमीन मिल सके और ये अपना घर बना सके।

उक्त के संदर्भ में विभागीय प्रतिनिधि (डी0आर0ओ0) ने समिति को अवगत करवाया कि भूमि हेतु 4,173 आवेदन आए थे जिनमें से 3294 मामले इलिजिबल नहीं पाए गए। भूमि हेतु सिर्फ 66 मामले ही पात्र पाए गए और 817 मामलों में अभी डॉक्यूमेंट प्रोसैस पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा 21 मामले डिजास्टर से संबंधित हैं तथा इनको कोई किराया नहीं दिया जा रहा है।

समिति ने सिफारिश करते हुए कहा कि जिन लोगों के मकान व जमीन डिजास्टर में पूरी तरह से बह गई है और यदि उनके पास मकान बनाने के लिए कोई जमीन नहीं है तो उनको जमीन देने हेतु विभाग प्रयास करे तथा उनको मकान बनाने के लिए दो या तीन बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (कृषि विभाग)

समिति ने विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि गत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 व 2024-25) में जिला कुल्लू में कितनी उठाऊ सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही हैं? क्या किसानों को उर्वरकों व मशीनरी का वितरण किया जा रहा है तथा विभाग द्वारा किसानों के लिए और कौन-कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं?

उपरोक्त के संदर्भ में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि कृषि विभाग की कोई भी उठाऊ सिंचाई स्कीम नहीं है। समिति द्वारा उर्वरकों व मशीनरी के संदर्भ में पूछे जाने पर जिला कृषि अधिकारी ने समिति को अवगत करवाया कि इसके लिए आर0के0वी0वाई0 (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) और दूसरी शिवांश स्कीम है। इन स्कीमों में ऑनलाइन पोर्टल है और उसमें किसानों की ओर से ऑनलाइन आवेदन आते हैं। समिति के पूछने पर कि वर्ष 2024-25 में कितने लोगों ने मशीनरी हेतु अप्लाई किया? लेकिन विभागीय प्रतिनिधि को इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

समिति ने विभागीय प्रतिनिधि को निर्देश देते हुए कहा कि इन स्कीमों का पूर्ण विवरण 15 दिन के भीतर समिति को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

महिला एवं बाल विकास

समिति द्वारा 'मुख्य मंत्री शगुन योजना' के संदर्भ में पूछने पर जिला प्रोग्राम अधिकारी ने समिति को अवगत करवाया कि इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार की बेटी की शादी के अवसर पर 31 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है लेकिन उक्त के संदर्भ में समिति का मत था कि अभी भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी बेटी की शादी हेतु सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं जिसके कारण वे लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

अतः समिति ने सिफारिश करते हुए कहा कि बी0पी0एल0 परिवारों की बेटी की शादी होने के पश्चात् जब वे लोग पंचायत सचिव के पास नाम कटवाने के लिए आते हैं तो पंचायत सचिव द्वारा ही उन बी0पी0एल0 परिवार की बेटी का फॉर्म भरना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इधर-उधर न भटकना पड़े और उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।

मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना

उपरोक्त योजना के संदर्भ में विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि ... के अन्तर्गत 174 बच्चों को लिया गया है। समिति ने विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि उक्त योजना के तहत जिला में कितने अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाया गया और इसके लिए विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए क्योंकि उसको 18 वर्ष की आयु से पूर्व पैतृक सम्पत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल सकता है तथा उसका पालन पोषण भी परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार द्वारा किया जाता है।

उपायुक्त ने समिति को अवगत करवाया कि उक्त लाभार्थियों के साथ एस0डी0एम0 लेवल पर मीटिंग की जाती है और कुछेक मीटिंग्ज को उन्होंने स्वयं भी अटेंड किया है। उन्होंने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि इन बच्चों के दो मेजर कंसर्न हैं उनमें से एक तो जैसा समिति का मत है और दूसरा 18 साल के बाद लड़कियों की तुरंत शादी कर दी जाती है। इसको रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके अलावा उन बच्चों को काउंसलिंग की भी आवश्यकता रहती है जिसके लिए सभी एस0डी0एम0 व तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि वे निजी तौर पर भी उन बच्चों की ग्रोथ पर फोकस करें।

समिति ने उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनकी पैतृक या अन्य सम्पत्ति के शेयर पर उनको मालिकाना हक दिलाना सुनिश्चित किया जाए और 18 वर्ष की आयु से पहले ही उनका डेटा तैयार कर लिया जाए कि उनका पैतृक या अन्य सम्पत्ति में कितना-कितना शेयर है तथा तीन माह के भीतर कृत कार्रवाई से समिति को भी अवगत करवाया जाए।

उपायुक्त ने समिति को आश्वासन देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है और जिला प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा तथा कृत कार्रवाई से समिति को भी अवगत करवा दिया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग

समिति ने विभागीय प्रतिनिधि से जानना चाहा कि जिला कुल्लू अनुसूचित जाति विकास कार्यक्र के तहत ऐसी कुल कितनी सड़कें हैं जिनका कार्य भूमि की गिफ्ट डीड न होने के कारण रुका हुआ है औ क्या ऐसी किसी एक सड़क की डिटेल विभाग के पास उपलब्ध है कि किन-किन लोगों की कितनी-कित जमीन सड़क में गई है?

उपरोक्त के संदर्भ में विभागीय प्रतिनिधि (एस0ई0) ने समिति को अवगत करवाया कि अनुसूचि जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 18 सड़कें ऐसी हैं जिनकी निजी भूमि की गिफ्ट डीड न हो के कारण क्लीयरेंस नहीं हो पाई है। इनका पूर्ण डेटा तैयार कर दिया गया है और सभी तहसीलों अधिकारियों को शीघ्र गिफ्ट डीड करवाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।

समिति ने जानना चाहा कि जिन लोगों ने बैंकों से जमीन पर लोन ले रखे हैं, यदि उनकी जमं सड़क में आ रही है तो विभाग उसके लिए क्या-क्या प्रयास कर रहा है तथा विभाग के पास ऐसे कित केसिज आए हैं?

विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि ऐसे 3 केस आए थे जिनकी जमीन बैंक ने प्लेज हुई है और जमीन का कुछ भाग सड़क में आ रहा था। विभाग के अधिकारियों ने बैंक में जाकर बै अधिकारियों को सुझाव दिया कि सड़क आने से उस लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी इसलिए वे एन0ओ0स देने के लिए तैयार हो गए और ऐसी जमीनों की गिफ्ट डीड हो गई है।

समिति द्वारा पूछने पर कि जिन सड़कों के निर्माण में शेयर (मुश्तरका खाता) की जमीन आ रहे उनको सैटल करने के लिए विभाग क्या-क्या प्रयास कर रहा है और ऐसे कितने केसिज हैं?

विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को अवगत करवाया कि जिन सड़कों के निर्माण में शेयर की आ रही है उनके साथ विभाग के अधिकारियों द्वारा बातचीत की जा रही है और अब ऐसे सिर्फ दो केस ही रह गए हैं।